रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127

REGISTERED NO. D. (DN) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 1991/फाल्गुन 30, 1912
No. 108] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 1991/PHALGUNA 30, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1991

सा.का.नि. 169 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारादीप पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में पारादीप पत्तन न्यास (पारादीप पत्तन) (पायलटों का प्राधिकरण) (संशोधन), विनियम, 1991 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

पारादीप पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) (संशोधन) विनियम, 1990

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन न्यास की न्यासी बोर्ड इसके द्वारा पारादीप पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) विनियम, 1967 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, बशर्ते कि उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (i) के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो।

(1.) लघुशीर्ष और प्रारम्भ: ये विनियम पारादीप पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) (संशोधन) विनियम 1990 कहलाएंगे।

(2.) पारादीप पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) विनियम 1967 के विनियम 6 के उप विनियम 1(ख) के लिए (अब से मुख्य विनियमों के रूप में संदर्भित होंगे) निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

"मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित नेत्र रोग चिकित्सक, शल्य चिकित्सक और चिकित्सक से सम्मिलित मेडिकल बोर्ड के सिफारिशों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करें। महिला अभ्यर्थी के मामले में महिला चिकित्सक मेडिकल बोर्ड में सहयोजित करेंगी।"

(3) मुख्य विनियमों के विनियम 9 के उपविनियम (2) के लिए निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किये जाएंगे:

"पायलटकार्य लाइसेंस के लिए शुल्क केवल 50 रु. (पचास रुपये) होगा।"

(4) मुख्य विनियमों के 8 के नीचे उपबंध के लिए निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किये जायेंगे और वे मुख्य विनियम के उप विनियम (1) और (2) कहलाएंगे :

"(1) परीक्षा समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, के द्वारा निर्दिष्ट रीति में पायलटकार्य लाइसेंस मंजूर करने के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी ।

1. उप संरक्षक — अध्यक्ष
2. हारबर मास्टर — सदस्य (वरिष्ठतम पायलट की अनुपस्थिति में)
3. विदेश जाने वाली जहाज का मास्टर। — सदस्य

(2) पायलट के 6 महीनों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के बाद और प्रशिक्षण अवधि के अन्तर्गत उसके निष्पादन के आधार पर हारबर मास्टर एक आवक बाउन्ड जहाज और एक जावक बाउन्ड जहाज के लिए प्रेक्टिकल शिप हैन्डलिंग परीक्षा आयोजित करेगा और उपसंरक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। हारबर मास्टर के रिपोर्ट पर संतुष्ट होने पर उप संरक्षक परीक्षा समिति को बुलाएगा और अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा जिसमें मुख्य विनियमों के विनियम 7 के अधीन उल्लिखित विषयों में अभ्यर्थी की परीक्षा ली जाएगी ।"

(5) मुख्य विनियमों के विनियम 17 में 3 रु. (केवल तीन रुपये) के रूप में दी गयी राशि के बदले 15 रु- (केवल पन्द्रह रुपये) होगी।

(6) मुख्य विनियम 29 में अभिव्यक्त "दुराचार" के बदले "उपेक्षा" अभिव्यक्त होगा।

[फा.सं. पी आर-12012/1/91-पी ई-I]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

नोट :—मुख्य विनियम अर्थात् पारादीप पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) विनियम 1967 भारत के राजपत्र दिनांक 1-11-1967 में जी.एस.आर. 1672 में प्रकाशित किये गये।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 1991

G.S.R. 169(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Paradip Port (Authorisation of Pilots) (Amendment) Regulations, 1991 made by the Board of Trustees for the port of Paradip and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

PARADIP PORT (AUTHORISATION OF PILOTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 1991

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Paradip hereby makes the following Regulations, to amend the Paradip Port (Authorisation of pilots) Regulations, 1967, namely :—

(1) Short title and commencement.—These regulations may be called the Paradip Port (Authorisation of Pilots) (Amendment) Regulations, 1991.

(2) For Sub-regulation 1(b) of regulation 6 of Paradip Port (Authorisation of pilots) Regulations, 1967 (hereinafter referred to as the Principal Regulations), the following provisions shall be substituted :

"Obtain a certificate of physical fitness issued by the Chief Medical Officers of the Port Trust on the recommendation of the Medical Board comprising a physician, a surgeon and an opthalmologist to be nominated by the Chief Medical Officer. In case of a female candidate, a Lady Doctor will be co-opted in the Medical Board."

(3) For Sub-regulation (2) of Regulation 6 of the Principal Regulations, the following provisions shall be substituted : "The fee for a pilotage licence shall be Rs. 50 (Rupees fifty) only)."

(4) For provision below regulation 8 of the principal regulations, the following provisions shall be substituted and they shall be called sub-regulations (1) and (2) of the Principal regulations :

"(1) The examination for granting of Pilotage Licence shall be conducted in the manner stipulated below by an Examination Committee comprising :

(i) Deputy Conservator—Chairman.

(ii) Harbour Master.—Member
(In his absence senior-most Pilot).

(iii) A Master of Foreign going ship.—Member.

(2) After a Pilot completes the probation period of 6 months and depending on his performance during the training period the Harbour Master shall conduct a practical ship handling test for one inward bound vessel and one outward bound vessel and submit the report to the Deputy Conservator. The Deputy Conservator after being satisfied with the report of the Harbour Master shall convene the Examination Committee and inform the candidate to appear for an oral test in which the candidate shall be examined in the subjects specified under Regulation 7 of the Principal Regulations."

(5) In Regulation 17 of the principal Regulations, the amount appearing as Rs. 3 (Rupees three only) shall be substituted by Rs. 15/- (Rupees fifteen only)."

(6) In Regulation 29 of the principal Regulations, the expression "Misconduct" shall be substituted by the expression "negligence.".

[F. No. P.R.-12012/1/91-PE. I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

NOTE :—The principal Regulations namely the Paradip Port (Authorisation of Pilots) Regulations, 1967 were published vide G.S.R. No. 1672 in the Gazette of India dated 1-11-1967.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991